स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारांकित प्रश्न ख: 1109

22 **म** , 2019 प्रश

प्रश त

स्वास्थ्य संबंधी कायक्रमों म नियोजित गैर-

1109. र्श्न श f

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह ो ं र्

- (क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों म स्वास्थ्य संबंधी कायक्रमों म नियोजित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के काय निष्पादन का आकलन किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या एनजीओ को उनके काय निष्पादन के आधर पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है/सम्मानित किया जाता है; और
- (घ) आदेश का उल्लंघन करने वाले गैर- सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कारवाई को गई है?

त्त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य र्त्र (र्श्र श्वे)

(क) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, देश म विभिन्न स्वास्थ्य स्कोम लागू करने जिनम गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नियुक्ति भी शामिल है, का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन दायरे के अंतगत उनको कायक्रम कायान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म उनके द्वारा रखी गई अपेक्षाओं के आधार पर वित्तीय और तकनीको सहायता दी जाती है तार्कि वे अपनी स्वास्थ्य परिचया प्रणालियों को सुदृढ़ कर सक।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कायक्रमां म राज्य सरकार के माध्यम से एनजीओ को सहायता को जाती है। अतः एनएचएम के तहत एनजीओ के क्रियालापों को केवल राज्य सरकारों द्वारा उनको राज्य कायक्रम कायान्वयन योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कायक्रम (आरएनटीसीपी) के मामले म, एनजीओ और निजी सेवा प्रदाताओं को नियुक्ति के लिए साझेदारी संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निदंश दिए गए ह। तथापि, आरएनटीसीपी हेतु एजिसयों को भी सेवाओं म अंतराल के निधारण के आधार पर राज्य और जिला स्वास्थ्य सोयायटी द्वारा विकद्रीकृत स्तर पर नियुक्त किया जाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय क्षयरोग संबंधी क्रियाकलापों के लिए कद्रीय स्तर पर वैश्विक निधि से पोषित परियोजनाओं के तहत भी एनजीओ को नियुक्ति कर रहा है। वतमान वैश्विक निधि अनुदान के तहत, दक्षिणी स्वास्थ्य सुधार समिति और तिब्बती स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को नियुक्ति को गई है।

(ख)और(ग) एनजीओ को नियुक्ति और इनके निष्पादन का मूल्यांकन राज्य और जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाता है। वैश्विक निधि परियोजनाओं के तहत नियुक्त एनजीओ के लिए, उनके वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन स्थानीय निधि एजसी द्वारा वैश्विक निधि संबंधी दिशानिदशों के अनुसार किया जाता है।

(घ) मंत्रालय काली सूची म डाले गए या प्रतिबंधित एनजीओ के संबंध म तत्संबंधी राज्य सरकारों को समय-समय पर परामश- पत्र जारी करता है।
